केंद्रीय विद्यालय संगठन

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन)

संभागीय कार्यालय,आई.आई.टी. कैंपस, पवई, मुंबई 400076

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

(Under Min. of Education, Govt. of India)

Regional Office: IIT Campus, Powai, Mumbai-400076.

दूरभाष/Tel. (022) 2572 8060/2328/6763/1614/0717 (EAPBX)

ई/मेल-E-mail : **kvsmumbairegion@gmail.com**

WEBSITE : **https://romumbai.kvs.gov.in**

F.N. 27331/KVS RO Mum/Acad/Admission/2023-24 **दिनांक: 31.05.2023**

ईमेल द्वारा

प्राचार्य
समस्त केंद्रीय विद्यालय
मुंबई संभाग

विषय : स्थानीय स्थानांतरण 2023-24 की प्रक्रिया एवं आवेदन के संबंध में

सन्दर्भ : के.वि.सं. प्रवेश मार्गदर्शिका 2023-24 का भाग A, बिन्दु 7 (iv)

महोदया/महोदय,

के.वि.सं. प्रवेश मार्गदर्शिका 2023-24 के भाग A, बिन्दु 7 (iv) के अनुसार केंद्रीय विद्यालय टीसी के आधार पर स्थानीय स्थानांतरण के सभी मामले उपायुक्त के अनुमोदन से मेरिट के आधार पर किए जाएंगे | आपको सूचित किया जाता है कि उपायुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई द्वारा स्थानीय स्थानांतरण के आवेदनों पर निम्नलिखित शर्तों के पूरे होने पर एवं आवेदित कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या एवं अधिकतम क्षमता के आधार पर ही विचार किया जाएगा |

स्थानीय स्थानांतरण की प्रक्रिया एवं समय सारिणी निम्नानुसार होगी :-

1. संलग्न स्थानीय स्थानांतरण आवेदन प्रपत्र अभिभावक की प्रार्थना पर वर्तमान विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा।
2. अभिभावक द्वारा इस प्रपत्र को चार प्रतियों में भरकर उस केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य को जमा किया जाए जहां वर्तमान में उनका बालक/बालिका अध्ययनरत है |
3. वर्तमान विद्यालय के प्राचार्य द्वारा आवेदन की एक प्रति अपने रिकार्ड हेतु रखी जाए, कार्यालय रिकार्ड के अनुसार विवरणों की जांच की जाए, उन्हें रिकार्ड किया जाए एवं शेष प्रतियाँ उस केवि के प्राचार्य को भेजी जाए **जहां अभिभावक बच्चे के प्रवेश के इच्छुक हो** | एक प्रति अभिभावक को प्रपत्र की प्राप्ति की पावती हेतु दी जाए |
4. विद्यार्थी जिस केवि में प्रवेश लेने के इच्छुक है, वहाँ के प्राचार्य द्वारा आवेदन प्रपत्र की एक प्रति सभी दृष्टियों से पूर्ण करके अपनी टिप्पणी / तथ्यों/ आंकडों को देते हुए संकुल प्रभारी प्राचार्य को भेजी जाए एवं एक प्रति विद्यालय रिकार्ड हेतु रखी जाए | कृपया ध्यान रहे संकुल प्रभारी प्राचार्य को आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व वर्तमान में छात्रों की संख्या तथा अपनी संस्तुति अवश्य लिखें ताकि संकुल प्रभारी द्वारा तदनुसार कार्रवाई की जा सके ।
5. संकुल प्रभारी प्राचार्य समस्त आवेदनों की जांच कर संलग्न Excel Sheet में छात्रों का पूर्ण विवरण भरकर एवं संबंधित विद्यालय (जहां प्रवेश हेतु इच्छुक हैं) के प्राचार्य से चर्चा कर एवं उनके हस्ताक्षर के उपरान्त कारण सहित अपनी टिप्पणी (अनुमोदित / अनुमोदित नहीं) हार्ड कापी एवं Soft Copy आवेदन पत्रों के साथ नियत समय के अंदर इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें ।

क्षेत्रीय कार्यालय को संकुल प्रभारी प्राचार्यों से आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त क्षेत्रीय स्तर की स्थानीय स्थानांतरण समिति द्वारा विचार उपरांत अनुमोदित किए गए विद्यार्थियों की सूची संबंधित विद्यालयों को प्रेषित की जाएगी|

<u>स्थानीय स्थानांतरण हेतु समय-सारिणी</u>

क्र. सं.	विवरण	दिनांक
1	अभिभावक द्वारा विद्यालय में फार्म सम्मिलित करने की तिथि	05.06.2023 से 24.06.2023
2	वर्तमान विद्यालय द्वारा जिस विद्यालय में स्थानांतरण चाहिए उस विद्यालय में फार्म सम्मिलित करने की अंतिम तिथि	27.06.2023
3	विद्यालय (जिस विद्यालय में स्थानांतरण चाहिए) द्वारा पूर्ण दस्तावेज़ों की जांच एवं टिप्पणी के उपरांत संकुल प्रभारी प्राचार्य को फार्म सम्मिलित करने की अंतिम तिथि	30.06.2023
4	संकुल प्रभारी प्राचार्य द्वारा समस्त आवेदनों की जांच कर अपनी टिप्पणी के साथ फार्मों को क्षेत्रीय कार्यालय में सम्मिलित करने की अंतिम तिथि	07.07.2023
5	क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सूची विद्यालयों को प्रेषित करने की तिथि	17.07.2023

6. **24 जून 2023** के बाद स्थानीय स्थानांतरण हेतु विद्यालय द्वारा आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगें । यदि किसी अभिभावक का स्थानांतरण अथवा सरकारी आवास का आवंटन 24 जून 2023 के उपरान्त होता है तो विद्यालय द्वारा फार्म स्वीकार किये जा सकते हैं एवं स्थानीय स्थानांतरण की उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किया जायेगा ।
7. कक्षा अध्यापकों के माध्यम से अभिभावकों को अवगत करायें ताकि इच्छुक एवं योग्य अभिभावकों द्वारा समय पर आवेदन किया जा सके । यह सूचना विद्यालय पट्ट एवं वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करें |
8. किसी भी मामले में अभिभावक को अन्य दूसरे केवि या क्षेत्रीय कार्यालय में जाने अथवा संपर्क करने हेतु सलाह प्रदान न करें ।
9. स्थानीय स्थानांतरण हेतु दी गयी समय-सारिणी का कडाई से पालन किया जाए ।
10. जिला प्रशासन/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर कोविड-19 हेतु SOP जारी किये गये हैं अत: स्थानीय स्थानांतरण के दौरान कोविड प्रोटोकोल एवं SOP का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए ।

संलग्नक:- यथोपरि

भवदीया,

सोना सेठ

(सोना सेठ)
उपायुक्त